# न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

## पुरन रविदास वगै0 बनाम् शंकर मंडल वगै0

## विविध वाद संख्या –106 / 2024

## *u/s* – B.N.S.S. 163

| आदेश की क्र०सं० और तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

**प्रथम पक्षः–**

1. पुरन रविदास, पिता – स्व0 लीलो रविदास
2. केदार दास, पिता– अकलु दास
3. मनोज रविदास, पिता– स्व0 जितन रविदास
4. धरम दास, पिता– स्व0 दुलो दास
5. रामचन्द्र रविदास, पिता– एतवारी दास

सभी साकिन – बडकी सरिया, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

**बनाम्**

**द्वितीय पक्षः–**

1. शंकर मंडल, पिता– बाबुलाल मंडल
2. कृष्णा मंडल, पिता– बाबुलाल मंडल
3. महेश मंडल, पिता– बाबुलाल मंडल

सभी साकिन– मंदरामों

4. अशोक दास, पिता– स्व0 बाबुलाल दास

साकिन – बडकी सरिया, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह।

## आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

10.09.2024

## विवादित भूमि की विवरणी

| मौजा | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| बडकी सरिया | 114 | 3902 | 66 डी0 | उ0– बकास्त मालिक,<br>द0– रेवा पाण्डेय,<br>पू0– बन्धो कुम्हार<br>प0– बुधन गोडाइत |

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

## प्रथम पक्ष

**प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 27.05.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–**

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. केवाला संख्या– 3280, दिनांक 17.03.1988 की छायाप्रति – कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. नजरी नक्शा – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. ऑनलाईन पंजी–2 की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. दुलो रविदास वो एतवारी रविदास वो अकलू रविदास वो जीतन रविदास के नाम से निर्गत ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

**प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 27.05.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–**

**आवेदन का प्वांइट नं0 02** – यह कि प्रथम पक्ष कि विवादित जमीन मौजा – बडकी सरिया, थाना– सरिया, थाना नं0– 44, जिला– गिरिडीह के अन्दर खाता सं0 – 114, प्लॉट नं0 – 3902, रकवा – 66 डी0 जिसकी चौहदी उ0– बकास्त मालिक, द0– रेवा पाण्डेय, पू0 – बन्धो कुम्हार, प0 – बुधन गोडईत दर्ज है।

**आवेदन का प्वांइट नं0 03** – यह कि प्रथम पक्ष के पूर्वज भरथा चमार वो खुट्टी चमार पेशरान बन्धु चमार कॉम चमार के नाम से खतियानी रैयती इन्द्राज है।

**आवेदन का प्वांइट नं0 04** – यह कि उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष को इसी खतियानी वंनशज के द्वारा (1) लीलो रविदास पिता स्व0 खुदी रविदास (2) जुगल रविदास पिता स्व0 खागो रविदास (3) मो0 पुनीया (4) मो0 अम्बिया दोनों पिता हरखु

रविदास बनाम (1) दुलो रविदास (2) एतवारी रविदास (3) अकलू रविदास (4) जीतन रविदास (5) उगन रविदास सभी पिता लीलो रविदास को खरिदगी केवाला दस्तावेज सं0– 3288 दिनांक – 17.03.1988 मोकाम गिरिडीह से खरीदगी केवाला से हासिल है। जिसका वंशावली निम्नवत् है।

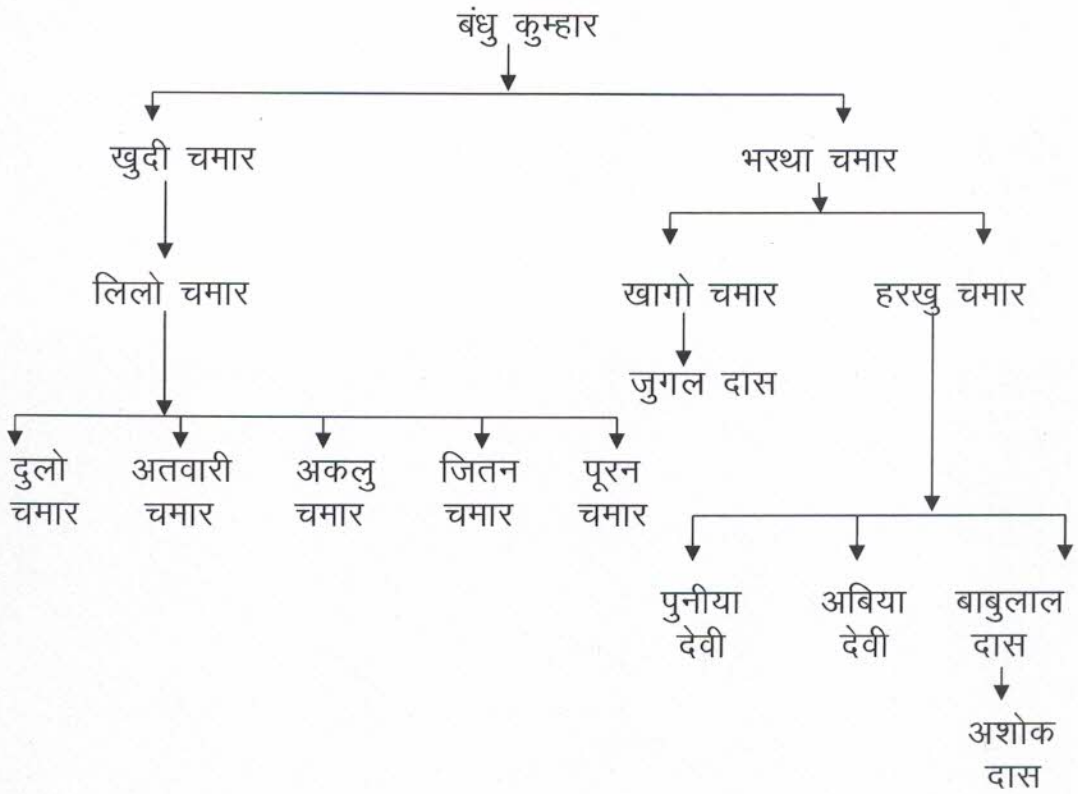


**आवेदन का प्वांइट नं0 05** – यह कि उपरोक्त जमीन प्रथम पक्ष जो अंचल कार्यालय सरिया के मांग पंजी–2 के भाग सं0 20 पृष्ठ सं0 – 115 में हुलो रविदास वो एतवारी रविदास वो अकलु रविदास वो जीतन रविदास पिता लीलो रविदास के नाम से दर्ज है। जिसका साल दर साल लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है, जो मौजा बडकी सरिया थाना सरिया जिला गिरिडीह के अन्तर्गत अंचल सरिया खाता नं0 – 114 थाना नं0 – 44 खेवट नं0 – 01, तौजी नं0 – 28 कुल रकवा – 2.23 एकड विवादित रकवा 66 डी0 जिसकी चौहदी उ0 – बकास्त मालिक, द0 – रेवा पाण्डेय, पू0 – बन्धों कुम्हार, प0 – बुधन गोडाइत है।

**आवेदन का प्वांइट नं0 06** – यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा जो केवाला दिखाया गया है जिसका केवाला सं0 7309 दिनांक 22.05.1990 मोकाम गिरिडीह से हासिल है जो प्रथम पक्ष के केवाला के दो साल के बाद का केवाला किया गया है।

10.09.2024

**आवेदन का प्वांइट नं0 07** – यह कि द्वितीय पक्ष के क्रमांक सं0 04 अशोक दास को खतियान के कुल रकवा 6.19 एकड़ के अनुसार उनके पूरे हिस्से में केवल 51. 58 डी0 होता है परन्तु वह अपने हिस्से से अधिक जमीन द्वितीय पक्ष के क्रमांक सं0 1, 2, वो 3 के पिता बाबुलाल मंडल के नाम से बिक्री कर दिये है जो गलत है।

**आवेदन का प्वांइट नं0 08** – यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा जो केवाला खरीदगी की गई है उसमें मवाजी रकवा 154.75 एकड़ भूमि दर्ज है जिसके अन्दर कुल 22 प्लॉट अंकित है जिसका प्लॉटवार खरीदगी कुल रकवा का योग्य 171.75 भूमि होता है जो सरासर गलत है।

**आवेदन का प्वांइट नं0 09** – यह कि उक्त विवादित जमीन खाता नं0 114, प्लॉट नं0 3902, रकवा 66 डी0 के मध्ये रकवा $16\frac{1}{2}$ डी0 जो द्वितीय पक्ष खरीदगी किये है जो कि विक्रेता अशोक दास के हिस्से में केवल 5.5 डी0 होता है। जो विक्रेता के हिस्से से अधिक जमीन खरीदगी की गई है। जो सरासर गलत है।

**आवेदन का प्वांइट नं0 10** – यह कि द्वितीय पक्ष क्रमांक सं0 04 अशोक दास के पिता कि मृत्यु होने के बाद उसकी माता उनको अपने साथ उतर प्रदेश ले कर चली गई और वही पर उसकी माता दूसरी शादी कर ली तथा शादी होने के बाद करीब 10 से 15 वर्षों के बाद अपने दूसरे पति के साथ वापस लोटे। और वापस लोटने के बाद बाबूलाल मंडल एक राज मिस्त्री थे जो उनके साथ ही काम करने लगे और उसके बाद बाबूलाल मंडल के द्वारा अशोक दास से जो उनके हिस्से से अधिक की जमीन खरीदगी की गई है जो सरासर गलत है।

## द्वित्तीय पक्ष

**द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 10.09.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–**

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-1**
2. अशोक रविदास बनाम श्री बाबुलाल मंडल के केवाला की छायापति – कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-2**
3. बाबुलाल मंडल के नाम से ऑनलाईन पंजी–2 की छाया प्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-3**
4. बाबुलाल मंडल वगैरह के नाम से ऑफलान एवं ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-4**

10.09.2024

5. खाता नं0 114 के ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श– B-5**

**द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 10.09.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–**

**कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 01** – वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है –

| मौजा | अंचल | थाना/थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| बडकी सरिया | सरिया | सरिया 44 | 114 | 3902 | 66 डी0 |
| चौहदी | उ0– बकास्त मालिक, पू0– बन्धो कुम्हार, | | द0– रेवा पाण्डेय प0– बन्धन गोडायत दर्ज है | | |

**कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 02** – यह कि वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है। जो भरथा चमार वो खुदी चमार के नाम पर इन्द्राज पाया गया है।

**कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 03** – यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विवरा निम्न प्रकार से है।

1. खतियान के अनुसार भरथा चमार वो खुदी चमार के बीच आपस में अपने जीवन काल में ही मौजा – बडकी सरिया के अंदर खाता नं0 – 114, प्लॉट नं0 – 3902 रकबा – 66 डी0 मध्ये रकबा – 33 डी0 भरथ चमार को एवं रकबा – 33 डी0 खुदी चमार को बहिस्सा बराबर – बराबर बाँटा गया है।

2. यह कि विपक्षी संख्या – 04 भरथा चमार के वंशज है जिसमें खागो चमार एवं हरखु चमार हुए तथा खागो चमार एवं हरखु चमार के बीच आपस में बंटवारा हो या है तथा रकबा – 33 डी0 मध्ये रकबा – 16 1/2 डी0 खागो चमार एवं हरखु चमार के हिस्से में रकबा – 16 1/2 डी0 हुआ। जिसमें हरखु चमार के एक मात्र पुत्र अशोक दास का दखल कब्जा हो जो विपक्षी संख्या – 4 के सदस्य है।

**कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 04** – यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा पारा नं0 – 4 में कहते हैं कि केवाला दस्तावेज संख्या – 3288 दिनांक 17/03/1988 से हासिल है। परन्तु उक्त दस्तावेज गलत तरीके से कराया गया है।

**कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 05** – यह कि उपरोक्त भूमि द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या – 4 के कब्जे की भूमि है जिसे बजरीय केवाला संख्या – ..... दिनांक 22/05/1990 ई0 को विपक्षी संख्या – 4 के द्वारा विपक्षी संख्या – 1, 2, 3 के पिता श्री बाबूलाल मंडल पे0 – स्व0 मेघन मंडल के पास मौजा – बडकी सरिया के अंदर खाता नं0 – 114 प्लॉट नं0 – 3902 रकबा – 66 डी मध्ये रकबा – 16 1/2 डी0 की बिक्री किया गया है।

**कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 06** – यह कि उक्त भूमि क्रेता बाबूलाल मंडल के द्वारा खरीदगी से हासिल होने के बाद अपने खास दखल – कब्जे में लेकर अंचल कार्यालय बगोदर हाल अंचल कार्यालय सरिया से जमाबंदी कायम कराकर मांग पंजी II भाग संख्या – 18 पेज नं0 – 36 से लगान रसीद संख्या – 1, 2, 3 का दखल कब्जा है तथा जोत कोड करते चले आ रहे हैं।

**कारण पृच्छा का प्वांइट नं0 07** – यह कि विपक्षी संख्या – 1, 2, 3 के पिता के नाम खाता नं0 – 114 के कूल रकबा – 1.54 3/4 एकड की जमाबंदी सम्मिलात रूप से कायम है तथा सम्पूर्ण रकबा – पर विपक्षी संख्या – 1, 2, 3, 4 का दखल कब्जा है।

## अंचल सरिया का प्रतिवेदन –

**अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक– 450 दिनांक – 09.07.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 03 पृष्ठ ( प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1**

मौजा – बडकी सरिया, थाना नं0 – 44 के अंतर्गत खाता नं0– 114, प्लॉट नं0– 3902 सर्वे रकवा 65 डी0 भूमि के संबधं में निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच किया गया जाँचोपरांत निम्न पाया :

1. खतियान के अनुसार :– यह कि मौजा– बडकी सरिया, थाना नं0–44 के अंतर्गत, खाता नं0– 114, प्लॉट नं0– 3902 रकवा 66 डी0 भूमि रैयती खाते की भूमि है। सर्वे खतियान भरथा चमार वगैरह के नाम से दर्ज है। खतियान C.N.T खाता से आच्छादित है।
2. पंजी II के आधार पर : यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा दावा/साक्ष्य के रूप में केवाला संख्या– 3288, दिनांक 17.03.1988 लगान रसीद संख्या– JH-201075088 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर जमाबंदी प्रथम पक्ष के पिता दुलो रविदास वगै0 के नाम पर पंजी II के भाग संख्या – 20 एवं पृष्ठ संख्या– 115 पर दर्ज है, तथा लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है।

   द्वितीय पक्ष के द्वारा दावा/साक्ष्य के रूप में केवाला संख्या– 7309 दिनांक

22.05.1990 लगान रसीद संख्या– 0824615237 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर जमाबंदी द्वितीय पक्ष के क्रेता– बाबुलाल मंडल के नाम पर पंजी II के भाग संख्या– 18 एवं पृष्ठ संख्या– 36 पर दर्ज है, तथा लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत है। प्राप्त दस्तावेज के अवलोकन के ज्ञात हुआ कि केवाला में मवाजी रकवा 154.75 एकड़ भूमि दर्ज है जिसके अन्दर कुल –22 (बाईस) प्लॉट अंकित है। जिसका प्लॉटवार खरीदगी कुल रकवा का योग– 171.25 एकड़ भूमि होता है। किन्तु लगान रसीद 154.75 एकड़ भूमि का ही निर्गत है। इस प्रकार केवाला में कुल खरीदगी रकवा एवं मवाजी रकवा में भिन्नता है।

3. सरजमीन पर दखल कब्जा संबंधी :– स्थल जाँच के क्रम में मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष के सदस्यों के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर चहारदीवारी देने के उद्देश्य से नींव खोदा गया है तथा ईंट गिराया गया है। जिसके पश्चात् प्रथम पक्ष के सदस्यों के द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए विरोध किया गया। वर्तमान में भूमि परती एवं खाली है।

## विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

| मौजा | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| **बडकी सरिया** | **114** | **3902** | **66 डी0** | **उ0– बकास्त मालिक,<br>द0– रेवा पाण्डेय,<br>पू0– बन्धो कुम्हार<br>प0– बुधन गोडाइत** |

2. उक्त भूमि खतियान के अनुसार एस0सी0 खाता की भूमि है।

3. **प्रथम पक्ष का दावा है कि** उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष को इसी खतियानी वंनशज के द्वारा (1) लीलो रविदास पिता स्व0 खुदी रविदास (2) जुगल रविदास पिता स्व0 खागो रविदास (3) मो0 पुनीया (4) मो0 अम्बिया दोनों पिता हरखु रविदास **बनाम** (1) दुलो रविदास (2) एतवारी रविदास (3) अकलू रविदास (4) जीतन रविदास (5) उगन रविदास सभी पिता लीलो रविदास को खरिदगी केवाला दस्तावेज सं0– 3288 दिनांक – 17.03.1988 मोकाम गिरिडीह से खरीदगी केवाला से हासिल है।

4. **द्वितीय पक्ष का दावा है कि** द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या– 04 खतियानी रैयत के

वंशज हैं और उनके द्वारा केवाला संख्या 7309 दिनांक 22.05.1990 के माध्यम से, द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या 01, 02, 03 के पिता श्री बाबूलाल मंडल को खाता नं0– 114, प्लॉट नं0– 3902, रकबा– 66 डी0 मध्ये रकबा– $16\frac{1}{2}$ डी0 डी0 जमीन की बिक्री की गई है तथा बिक्री के पश्चात् रजिस्टर–2 के भाग संख्या– 18, पेज नं0– 36 पर दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।

5. प्रश्नगत विवादित भूमि एस0सी0 खाता की भूमि है जो कि C.N.T Act अनुसार संचालित होता है।

   C.N.T Act अनुसार एस0सी0 खाता के भूमि की बिक्री गैर एस0सी0 व्यक्ति को नहीं की जा सकती है।

6. **साथ ही प्रथम पक्ष का कहना है कि** द्वितीय पक्ष का केवला प्रथम पक्ष के केवाला के दो वर्ष बाद का है, पुनः प्रथम पक्ष का कहना है कि खतियान के अनुसार द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या– 04, अशोक दास के हिस्से में जितना जमीन पडता था उससे अधिक रकबा की बिक्री, उनके द्वारा, द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या– 01, 02 एवं 03 को कर दी गई है।

7. **अंचल के प्रतिवेदन में किसी भी पक्ष के स्पष्ट कब्जा की पुष्टि नहीं की गई है तथा वर्तमान में भूमि को परती एवं खाली बताया गया है।**

**अतः स्पष्ट है कि यह मामला हक–हकियत के साथ – साथ C.N.T से भी संबंधित है, जिसका निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।**

**अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।**

**उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।**

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.09.2024

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.20 17:01:35 +05:30
Location: 192.168.45.238

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

10.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।